(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी,
परबतसर जिला नागौर

28/10/2021	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 शिविर ग्राम मंगलाना में पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित आये। प्रतिवादीगण ने इकबालिया जबाब पेश कर वाद को सही होना स्वीकार किया है। वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम मंगलाना के ख. नं 151, 143, 593, 594, 614, 96 कुल रकबा 7.8101 हैक्टयर स्थित है जिसमे वादी का 1/12 हिस्सा दर्ज है जिसमें वादी का नाम फौतगी नामान्तकरण दर्ज करते समय हरीराम पुत्र रामकिशन दर्ज कर दिया जबकि वादी का नाम हरीश कुमार पुत्र रामाकिशन दर्ज होना था। वादी के अन्य सभी दस्तावेजो में यही नाम दर्ज हैं। जिससे वादी ने यह वाद पेश कर उक्त विवादित भूमि मे हरीराम पुत्र रामकिशन के स्थान पर हरीश कुमार पुत्र रामकिशन घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण ने वादी का वाद स्वीकार कर इकबालिया जबाब पेश किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड व मतदाता पहचान-पत्र आदि दस्तावेजातो में हरीश कुमार पुत्र रामकिशन दर्ज हैं। ग्राम के मौजीज व्यक्तियों से जानकारी करने उनके द्वारा भी बताया गया की हरीराम पुत्र रामकिशन व हरीश कुमार पुत्र रामाकिशन दो नाम का एक ही व्यक्ति वादी हैं। रिकार्ड व प्रतिवादीगण स्वीकारोक्ती एवं प्रस्तुत	हरीश कुमार 9.d. [signature] बाबुलाल [signature] सुरेश कुमार

99
दस्तावेजो के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

अत: वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम मंगलाना के ख०नं० 141, 143, 593, 594, 614, 96 कुल रकबा 7.810 हैक्टयर भूमि में हरीराम पुत्र रामकिशन 1/20 हिस्सा के स्थान पर हरीश कुमार पुत्र रामकिशन 1/20 हिस्सा घोषित किया जाता है। तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)